आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

बी०एल०डी०आर० अपीलवाद संख्या–177/2024

1. परमा मिश्रा उर्फ पारस मिश्रा
2. लक्ष्मी मिश्रा } दोनो पिता–स्व कैलाश मिश्रा।
3. अजय मिश्रा, पिता–स्व० कृष्णा मिश्रा।

बनाम्

1. कन्हैया साह, पिता–नथुनी साह।

उपस्थिति/प्रतिनिधित्व :–

अपीलकर्त्तागण के तरफ से :– विद्वान अधिवक्ता, श्री सवलिया प्रसाद सिंह एवं श्री हरिओम बिहारी।

प्रतिवादी के तरफ से :– अनुपस्थित।

सरकार के तरफ से :– विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण।

आदेश

अनुसूची 14 फार्म संख्या 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
27.09.2024 **21.10.2024**	**प्रस्तुत BLDR अपीलवाद न्यायालय समाहर्त्ता, गोपालगंज** द्वारा दाखिल–खारिज पुनरीक्षण वाद सं०–04/2023 में दिनांक–22.07.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। **विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि** प्रस्तुत वाद में विपक्षी सं०–01, कन्हैया साह द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष "The Bihar Land Mutation Act-2011 की धारा–7 के तहत वाद सं०–14/2021–22 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक–19.09.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं०–01, कन्हैया साह द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता, गोपालगंज के समक्ष दाखिल–खारिज पुनरीक्षण वाद सं०–04/2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–22.07.2024 को आदेश पारित किया जा चुका है। **विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि** "The Bihar	

WEB COPY NOT OFFICIAL

Land Mutation Act-2011 की कंडिका–7 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के समक्ष अपील दायर करने तथा कंडिका–8 में समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता के समक्ष पुनरीक्षण वाद दायर करने का प्रावधान किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा किस नियम/नियमावली के तहत इस स्तर पर वाद लाया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि "The Bihar Land Mutation Act-2011 की धारा–7 के तहत अपीलीय प्राधिकार के रूप में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज सदर द्वारा तथा धारा–08 के तहत पुनरीक्षण प्राधिकार के रूप में समाहर्त्ता, गोपालगंज द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। ऐसे में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस स्तर पर किस नियम/अधिनियम/नियमावली के तहत वाद लाया गया है, इसका उल्लेख उनके याचिका में नहीं किया गया है और न ही सुनवाई के क्रम में उनके द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से प्रस्तुत वाद को इस स्तर पर पोषणीय न पाते हुए उसे ग्रहण के बिन्दु पर **अस्वीकृत** किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL